न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 72/2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00439

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण		मांगू पुत्र डांवर के कायम मुकाम :– 1. कानाराम पुत्र मांगूराम जाट 2. पाबुराम पुत्र मांगूराम जाट 3. शिवकरण पुत्र मांगूराम जाट 4. शंकरलाल पुत्र मांगूराम जाट 5. रामचन्द्र पुत्र मांगूराम जाट निवासीगण आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: आदेश ::–

दिनांकः–28/7/21

तहसीलदार जैतारण द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम आनन्दपुर कालु चक–। के खसरा नंबर 1705 रकबा 111 बीघा 13 बिस्वा भूमी गैर मुमकिन नदी स्थित है जिसमें से 5 बिस्वा भूमी का आवंटन/नियमन अप्रार्थी मांगू पुत्र डांवर जाट के हक में किस्म गै.मु. बाडा दिनांक 28.7.1969 को किया। तथा उसका इन्तकाल हो जाने पर उसके वारिसान कानाराम, पाबूराम, शिवकरण, शंकरलाल, रामचन्द्र, पिसरान मांगूराम जाट निवासी आनन्दपुर कालु के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1424 दिनांक 11.11.99 के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किए। उक्त भूमी की किस्म गै.मु. नदी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी है जिसका आवंटन/नियमन नही किया जा सकता है। एवं उक्त आवंटन/नियमन प्रतिबंधित भूमी में कर दिए जाने से निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय गुणावगुण पर बाद परीक्षण किया गया वकील अप्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत किया गया। उसका अवलोकन किया गया जिसके अनुसार रेफरेनस 42 वर्षो बाद किए जाने से खारिज योग्य बताया तथा आदेश की प्रति संलग्न पेश नहीं करने से भी रेफरेन्स खारिज योग्य बताया है। उक्त भूमी पर और भी कई व्यक्तियों के बाड़े बने हुए है नियमन सुदा भूमी पर कभी नदी का पानी नहीं आया तथा वहां नदी की चौड़ाई 100 मीटर है तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थी का करीब 10 लाख रूपये में निर्मित मकान बना हुआ है तथा बिजली कनेक्शन लिया हुआ है बिल की फोटोप्रतियां भी पेश की है तथा अप्रार्थी का परिवार सहित वहां रहना बताया है इसके अलावा मकान नहीं होने का भी उल्लेख किया है इस प्रकार उक्त आराजी की वास्तविक भौतिक आराजी का निरीक्षण नहीं कर मनगढन्त झूठा रेफरेन्स प्रेषित किया है जो न्यायसंगत नहीं होने से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाने हेतु निवेदन कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई [illegible] एवं अप्रार्थी को भूमी नियमन ग्राम आनन्द[illegible] 1705 में 5 बिस्वा भूमी का किया गया उक्त आवंटित खसरा नंबर 1705 गै.मु. नदी की [illegible] है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] धारा 16 के तहत उक्त गै.मु. नदी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से इसका नियमन किया जाना विधिविरूद्ध है। प्रार्थी ने मकान बना लिया अथवा वहां नदी का प्रवाह नहीं है इस कारण से

क्रमश 2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी प्रतिबंधित भूमी का नियमन किसी के हक में किया जाना विधिसम्मत नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अप्रार्थी के पिता मांगू के हक में उक्त नियमन सन् 1969 को जरिये आदेश 1803 दिनांक 28.7.69 को किया गया है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 764 दिनांक 24.7.1980 के मांगू का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया तथा उसकी मृत्यु पर्यन्त जरिये नामान्तरकरण संख्या 1424 दिनांक 11.11.99 के उसके वारिसान कानाराम, पाबूराम, शिवकरण, शंकरलाल, रामचन्द्र पिसरान मांगू कौम जाट के नाम दर्ज किया गया है उक्त आदेश एवं नामान्तरकरण सभी निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की सेवामें प्रेषित कर निवेदन है कि नियमन आदेश क्रमांक 1803 दिनांक 18.7.1969 तथा उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 764 दिनांक 24.7.1980 एवं उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 1424 निरस्त फरमाने एवं आराजी को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:20:26 IST
Reason: SelfAttested